

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी शारदा देवी गणपतय राम	ब ना म	अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
-------------------------------------	--------------	---

राजस्व प्रार्थना-पत्र = रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

प्रार्थना-पत्र नम्बर 613/2021

GCMS No. 2021/692

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तारीख में जारी
हूए

11.11.2021

प्रार्थी श्री शारदा देवी गणपतय जाति
राम निवासी राम द्वारा आज "प्रशासन गांवो के
संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत राम में एक
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 ग्राम राम
पटवार मण्डल राम के खाता नम्बर 108 मे
प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि शारदा देवी गणपतय -
राम दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम शारदा देवी गणपतय
है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध
प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य
स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 00838100989
आधारनम्बर 7223 24799628 मतदाता पहचान पत्र 5025/1188770
अन्य दस्तावेज 5025 78748- की
छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी राम भू.अ.नि राम एवं
तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब
की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार सुनवाई कर नाम
एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि
को शुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत
नही किया है जिससे उसका नाम शुद्ध किया जा सके तथा उक्त
अशुद्धि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि भी प्रार्थी द्वारा
प्रस्तुत नही की गई है तथा प्रकरण धारा 136 R.L.Act1956 की श्रेणी में
नही आता है, प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात
इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्त



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)